**राजस्थान उच्च न्यायालय**

**जोधपुर**

एस.बी. दीवानी विविध अपील सं.2254/2019

1. रीना पत्नी स्वर्गीय सुंदरम, आयु लगभग 32 वर्ष, जाति भाट, निवासी वार्ड सं. 25, सूरतगढ़ , जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

2. राहुल पुत्र स्वर्गीय सुंदरम, आयु लगभग 12 वर्ष, जाति भाट, जरिये प्राकृतिक संरक्षक (माँ) रीना पत्नी स्वर्गीय सुंदरम, निवासी वार्ड स.25, सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

3. रोहित पुत्र स्वर्गीय सुंदरम, आयु लगभग 10 वर्ष, जाति भाट, जरिये प्राकृतिक संरक्षक (माँ) रीना पत्नी स्वर्गीय सुंदरम, निवासी वार्ड सं.25, सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

4. आशु पुत्र स्वर्गीय सुंदरम, आयु लगभग 8 वर्ष, जाति भाट, जरिये प्राकृतिक संरक्षक (माँ) रीना पत्नी स्वर्गीय सुंदरम, निवासी वार्ड सं.25, सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. हेतराम पुत्र चुन्नाराम, जाति जाट, निवासी सहजरासर, तहसील लूणकरनसर, जिला बीकानेर (राजस्थान)। जेसीबी क्रेन सं. आरजे-07-ईए-0669 का चालक

2. किशनलाल पुत्र पदमाराम, जाति जाट, निवासी खियेंरा, तहसील लूणकरनसर, जिला बीकानेर (राजस्थान)। जेसीबी क्रेन सं. आरजे-07-ईए-0669 का स्वामि

3. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय पंचसती सर्कल, सार्दुलगंज, बीकानेर (राजस्थान)। बीमा कंपनी वाहन जेसीबी क्रेन सं. आरजे-07-ईए-0669

----प्रत्युत्तरदातागण

.....

अपीलार्थी(ओं) के लिए : श्री त्रिलोक जोशी

श्री योगेन्द्र सिंह चारण

प्रत्युत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री कौशल गौतम

श्री अनिल कौशिक

.....

**माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा**

**आदेश (मौखिक)**

**07/05/2025**

1. अपीलार्थी-दावेदार (मृतक सुंदरम की पत्नी और तीन पुत्र) इस न्यायालय के समक्ष विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर द्वारा एम.ए.सी. प्रकरण सं.30/2017 में पारित निर्णय दिनांकित 23.04.2019 को अभिखंडित करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत उनकी दावा याचिका खारिज कर दी गई है।

2. पहले संक्षिप्त तथ्य। 30.08.2016 को मृतक सुंदरम, लूणकरणसर से 12 किलोमीटर दूर अस्थायी शिविर में सो रहा था। अभिकथित तौर पर, एक जेसीबी क्रेन, जिसका पंजीकरण क्र. आरजे-07-ईए-669 है, को चालक हेतराम (प्रत्युत्तरदाता सं.1) द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक विपरीत दिशा में चलाकर दुर्घटना कारित की गई,

जिसके कारण सुंदरम की मृत्यु हो गई। दुर्घटना के समय, मृतक 30 वर्ष का था और शादियों एवं अन्य शुभ आयोजनों में ढोल व शहनाई बजाकर 10,000 रुपये कमाता था। दुर्घटना के संबंध में, धारा 279 और 304ए आईपीसी के अंतर्गत एक एफआईआर सं.259/2016 दिनांक 17.11.2016 को दर्ज की गई थी और अन्वेषण के पश्चात्, प्रत्युत्तरदाता सं.1 के विरुद्ध आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में दायर किया गया था। दावेदारों ने मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रत्युत्तरदाताओं के विरुद्ध दावा प्रकरण सं.30/2017 के तहत दावा याचिका दायर की। आय की हानि, वेदना और कष्ट, मानसिक संताप, अंतिम संस्कार व्यय इत्यादि के लिए प्रतिकर के रूप में 24,70,000 रुपये की राशि का दावा किया गया था।

3. प्रत्युत्तरदाता सं.1 और 2 (चालक और स्वामि) ने अपना जवाब दाखिल किया और इस बात से इनकार किया कि दुर्घटना उल्लंघनकारी वाहन से हुई थी। बीमा कंपनी (प्रत्युत्तरदाता सं.3) ने भी 05.03.2018 को अपना जवाब दाखिल किया और अपने दायित्व से इनकार किया। उन्होंने दावा याचिका खारिज करने की माँग की।

4. विद्वान अधिकरण ने निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए, जिनका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है:-

> *"1. क्या प्रत्युत्तरदाता सं.1 ने दिनांक 30.08.2016 को, पंजीकरण संख्या आरजे 07 ईए 0669 वाले जेसीबी वाहन को तेज गति और उपेक्षापूर्वक पीछे लेते हुए, सुंदरम पुत्र बुधाराम, जो सो रहा था, को कुचल दिया, जिससे उसे चोटें आईं जिसके कारण सुंदरम की मृत्यु हो गई?*

---

*2. क्या प्रत्युत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए याचिकाकर्ता-आवेदक प्रतिकर पाने के हकदार नहीं हैं?*

*3. क्या याचिकाकर्ता-आवेदक 24,70,000 /- रुपये का प्रतिकर पाने के हकदार हैं?*

*4. अनुतोष?*

5. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत संबंधित साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थियों/दावेदारों के विरुद्ध सभी विवाद्यकों को विनिश्चत किया और दावा याचिका खारिज कर दी। अतः यह अपील प्रस्तुत है।

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थियों के विरुद्ध विवाद्यक सं.1 और 2 को निर्णीत करने में त्रुटि की है, यह धारित करते हुए कि दुर्घटना जेसीबी क्रेन सं. आरजे07-ईए-0669 द्वारा कारित नहीं की गई थी। उन्होंने यह तर्क दिया कि विद्वान अधिकरण वाहन, दुर्घटनास्थल पर उपस्थित साक्षियों तथा अन्य प्रभावित सदस्यगण के संबंध में, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि दुर्घटना जेसीबी क्रेन सं. आरजे07-ईए-0669 द्वारा कारित की गई थी, के तथ्य का मूल्यांकन करने में विफल रहा है।। उन्होंने तर्क दिया कि विद्वान अधिकरण ने साक्षी एडब्ल्यू-1 रीना के वृत्तांत पर विचार नहीं किया है, जिसने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि प्रत्युत्तरदाता सं.1 -0 हेतराम ने जेसीबी चलाई और दुर्घटना जेसीबी क्रेन सं.आरजे07-ईए-0669 द्वारा कारित थी।

6.1. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि विद्वान अधिकरण ने गुणावगुण के आधार पर निष्कर्ष दिए बिना अन्य विवाद्यकों को संक्षिप्तः विनिश्चित करने में त्रुटि की है। प्रत्युत्तरदाता साक्ष्य के साथ अपने दावों को सिद्ध करने में विफल रहा, और उनके बयानों में तथ्यात्मक आधार का अभाव था। इसके बावजूद, अधिकरण ने तथ्यों का उचित मूल्यांकन किए बिना दावेदारों के दावे को खारिज कर दिया, जिससे यह निर्णय असंधार्य और अभिखंडित किए जाने योग्य हो गया।

6.2. इसके अतिरिक्त, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्युत्तरदाता यह साबित करने में विफल रहे कि जेसीबी क्रेन सं.आरजे07-ईए-0669 इस दुर्घटना में सम्मिलित नहीं था। प्रत्युत्तरदाता सं.1 ने घटना के समय क्रेन के स्थान अथवा इसके ठिकाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया, ना ही उसने मिथ्या आलिप्त किये जाने अथवा कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश किये जाने का दावा किया। ऐसे साक्ष्य के अभाव में, यह निर्णय असंधार्य है तथा अभिखंडित किये जाने योग्य है।

7. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान अधिवक्ताओं के प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं, जो कमोबेश अभिवचनों में दिए गए आधारों के समान ही हैं और मैंने मामले की पत्रावली का परिशीलन किया है। मैं अब इसके गुणों और अवगुणों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ूंगा और इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट विवेचना और तर्कों के आधार पर अपनी राय प्रस्तुत करूंगा।

8. यह प्रकट होता है कि विद्वान अधिकरण द्वारा वर्तमान अपीलार्थियों की दावा याचिका को अन्य कारणों के साथ-साथ इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उल्लंघनकारी वाहन, अर्थात क्रेन (संख्या आरजे07-ईए-0669), का पंजीकरण नंबर उसी वाहन का नहीं पाया गया, जो दुर्घटना में शामिल था। विद्वान अधिकरण द्वारा यह अवेक्षा की गई कि दुर्घटना के संबंध में एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसमें, एक अन्य क्रेन (सं. आरजे7-ईए-384) के विर्दिष्ट क्रमांक दिये गए है। तत्पश्चात, अन्वेषणोपरांत, पंजीकरण क्रमांक अर्थात् आरजे07-ईए-669 को प्रतिस्थापित करते हुए आरोप-पत्र दाखिल पेश किया गया।

9. विद्वान अधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि दावेदार यह साबित करने में विफल रहे कि दुर्घटना हेतराम द्वारा चलाई जा रही जेसीबी क्रेन आरजे07-ईए-669 द्वारा कारित थी, क्योंकि एफआईआर (जिसमें आरजे07-ईए-384 का उल्लेख है) और आरोप पत्र (जिसमें आरजे07-ईए-669 का उल्लेख है) के मध्य वाहन पंजीकरण संख्या में अंतर था। यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। आइए देखें कैसे।

9.1 अधिकरण ने अन्वेषण प्रक्रिया पर पर्याप्त विचार किए बिना एफआईआर और आरोप पत्र के बीच विसंगति पर अनुचित भार डाला। 17.11.2016 को दर्ज की गई एफआईआर में शुरू में जेसीबी आरजे07-ईए-384 का उल्लेख किया गया था, लेकिन पुलिस अन्वेषणोपरांत, जेसीबी आरजे07-ईए-669 के चालक के विरुद्ध आरोप पत्र (प्रदर्श-

पी2) पेश किया गया था। पुलिस अनुसंधान, जिसमें साक्षियों के बयान, फर्द जब्ती (प्रदर्श-पी11), और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य (प्रदर्श-पी3 से पी21) शामिल थे, निष्कर्ष निकाला गया कि आरजे07-ईए-669 ही उल्लंघनकारी वाहन था। अधिकरण यह मूल्यांकन करने में विफल रहा कि एक एफआईआर एक प्रारंभिक दस्तावेज होता है, और एक विस्तृत अन्वेषण पर आधारित आरोप-पत्र में अधिक साक्ष्यिक भार होता है। वाहन संख्या में परिवर्तन के लिए स्पष्ट स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति अन्वेषण के निष्कर्षों को नहीं नकारती है, विशेष रूप से जब बहुविध दस्तावेजों द्वारा समर्थित हो।

9.2. अधिकरण ने दोनों प्रत्यक्षदर्शियों, एडब्ल्यू-1 रीना (मृतक की पत्नी) और एडब्ल्यू-2 खाकूराम के परिसाक्ष्य की अन्वेक्षा की और गलत मूल्यांकन किया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया कि दुर्घटना हेतराम द्वारा चलाए जा रही जेसीबी द्वारा कारित थी, जिसके परिणामस्वरूप सुंदरम की मृत्यु हो गई। रीना का परिसाक्ष्य, जो खाकूराम द्वारा संपुष्ट था, जिसमें घटना का विस्तार से वर्णन किया गया, जिसमें जब वह आराम कर रहा/सो रहा था, जेसीबी द्वारा सुंदरम को कुचला जाना शामिल था। ये कथन आरोप-पत्र के निष्कर्ष के अनुरूप है कि जेसीबी आरजे07-ईए-669 शामिल थी। एफआईआर के वाहन नंबर (आरजे07-ईए-384) के संबंध में प्रतिपरीक्षा के दौरान हुई स्वीकारोक्तियों के आधार पर इस परिसाक्ष्य को अधिकरण द्वारा खारिज किया जाना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि साक्षी संभवतः प्रारंभिक बयानों में, विशेष रूप से कष्ट में होने से, पंजीकरण नंबरों को सटीक रूप से याद

न रख पाएं। अधिकरण उनके वृत्तांत की समग्र विश्वसनीयता पर विचार करने में विफल रहा, जो विशेषज्ञ अन्वेषण के आधार पर पुलिस द्वारा किए गए निष्कर्षों के अनुरूप थी।

9.3. अधिकरण ने अवेक्षा की कि प्रदर्श-पी5 (एक पत्र दिनांकित 31.08.2016) तथा प्रदर्श-पी3 (पंचनामा) में वाहन के क्रमांक को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया, और प्रदर्श-ए-4 (परिवाद दिनांकित 17.11.2016) में आरजे07-ईए-384 का उल्लेख था। हालांकि, इसने आरजे07-ईए669 की अंतर्वलितता का समर्थन करने वाले व्यापक दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज कर दिया, अर्थात फर्द जब्ती जेसीबी (प्रदर्श-पी11) जिसमें दुर्घटना के संबंध में जेसीबी आरजे07-ईए-669 की जब्ती की पुष्टि की गई थी; और रीना, ओमप्रकाश और खाकूराम के पुलिस बयानों (प्रदर्श पी14-पी16) में हेतराम और जेसीबी को आलिप्त किया गया था; और जेसीबी आरजे07-ईए-669 चलाने के लिए हेतराम के विरुद्ध दायर आरोप-पत्र (प्रदर्श-पी2) अन्वेषणोपरांत पुलिस के निष्कर्ष को इंगित करते है; तथा शवपरीक्षा रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेख (प्रदर्श-पी6 से पी10), जो दावेदारों के विवरण की पुष्टि करते हुए मृत्यु का कारण और दुर्घटना की परिस्थितियों की पुष्टि करते हैं।

9.4. ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकरण ने सबूत के भार के सिद्धांत का भी गलत इस्तेमाल किया है। इसने दावेदारों पर वाहन की पहचान को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का अत्यधिक भार डाल दिया, जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत दीवानी दावों की तुलना में आपराधिक विचारण के लिए अधिक उपयुक्त मानक है। मोटर दुर्घटना दावा

मामलों में, मानक अधिसंभाव्यता की प्रबलता है। दावेदारों ने सारवान साक्ष्य—प्रत्यक्षदर्शियों के परिसाक्ष्य, पुलिस अन्वेषण के परिणाम और दस्तावेज़ी सबूत—पेश किए, जो यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त थे कि जेसीबी आरजे07-ईए-669 संभवतः शामिल थी। प्रत्युत्तरदाता, विशेष रूप से चालक (हेतराम) और स्वामि, इसका खंडन करने के लिए ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे, ऐसा कोई सबूत कि दुर्घटना के समय जेसीबी अन्यत्र कहीं थी। प्रत्युत्तरदाताओं से उनके दावे को सिद्ध करने की अपेक्षा किए बिना, उनके कोरे प्रत्याख्यान पर निर्भर रहना विधिक रूप से एबदार है।

9.5. अधिकरण ने एफआईआर (प्रदर्श-पी1) और आरोप-पत्र (प्रदर्श-पी2) को स्वीकार किया, लेकिन वाहन संख्या में विसंगति के कारण उनकी प्रासंगिकता को खारिज कर दिया। तथापि, पुलिस अन्वेषण द्वारा समर्थित, जेसीबी आरजे07-ईए-669 के लिए हेतराम के विरुद्ध दाखिल किया गया आरोप-पत्र यह इंगित करता है कि अधिकारियों को इस वाहन की अंतर्वलितता के विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त हुए थे।

10. जब उपर्युक्त आदेश लिखवाया जा रहा था, तब संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण ने हस्तक्षेप किया और यह निवेदन किया कि वे इस बात पर सहमत हैं कि दावा याचिका को प्रश्नगत दुर्घटना के संबंध में दर्ज एफआईआर से उत्पन्न आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल आरोप-पत्र में उल्लिखित वाहन संख्या के अनुसार, दावे के गुणावगुण पर नए सिरे से न्यायनिर्णयन हेतु प्रतिप्रेषित किया जाए।

11. तदनुसार, आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है और दावा याचिका को उसके मूल नंबर पर प्रत्यावर्तित किया जाता है, ताकि पंजीकरण सं.आरजे07-ईए669 वाले जेसीबी क्रेन को उल्लंघनकारी वाहन मानते हुए नए सिरे से विनिश्चित किया जा सके और विधि के अनुसार शेष विवाद्यकों पर गुणावगुण के आधार पर निष्कर्ष दिया जा सके।।

12. वर्तमान विविध अपील का तदनुसार निस्तारित की जाती है।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित किये जाते हैं।

**(अरुण मोंगा) ,जे**

178-एके चौहान /-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ / नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी